

**धृष- VII**  
 झारखण्ड सरकार  
 स्नाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम  
 (भू-अर्जन सलधा)  
 या  
 समुक्त सरकार  
**प्रारंभक अधिसूचना**  
 (अधिनियम-30/2013 धारा 19 (1) के अधीन)

संख्या ...231.....  
 /2016.

दिनांक 02 /08

बंकि सगाहर्ता, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतिात है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ, यथा परियोजना कालिकापुर बितरणी के निर्माण हेतु ग्राम- दामुडीह, थाना- धाटशिला, थाना संख्या- 1515 अंबल- पोटाका, जिला-पूर्वी सिंहभूम में कुल 1.935 एकड़ यानि 0.783 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है। इसलिये अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिये अर्जन के अधीन, एक भू-खण्ड है, जो मानक माप से कमावे" 1.935 एकड़ यानि 0.783 हेक्टेयर है और जो ग्राम- दामुडीह, थाना- धाटशिला, थाना संख्या-1515, अंबल-पोटाका, जिला-पूर्वी सिंहभूम में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

क्र०	खाता संख्या	सर्व प्लॉट संख्या	स्वाभिव का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रकल (ए०)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	सीमा (भू-खण्ड संख्या)			
							उ०	प०	पू०	प०
1	69	193	कायनी	दोन I	0.16	घासी राम सरदार पिला स्व०पदा सरदार	193	193	204	सीमा को म
2	84	204	कायनी	दोन III	0.22	सरस्वती भूमिजानी वो तुजसी भूमिजानी वो चार्वती भूमिजानी, पिला- स्व० राजमोहन भूमिज	204	205	206	193
3	84	205	कायनी	गांठा I	0.5	-वही-	204	237	206	193
4	84	206	कायनी	दोन II	0.8	-वही-	206	237	236	205
5	59	236	कायनी	मोट्टी आर	0.15	पदमावती सरदार, पॉटे- स्व० प्रखल्य सरदार वो सारी सरदार, पॉटे स्व० दुबा सरदार	236	237	243	237
6	59	243	कायनी	तालाब	1.10	-वही-	243	242	टपरा नी	239
7	59	242	कायनी	दोन I	0.1	-वही-	243	242	243	239

यह अधिसूचना भू-अर्जन पुनर्बासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के उपबन्धी के अधिन उन सभी व्यक्तियों के लिये जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो। भूमि की योजना/नक्सा का निरीक्षण विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-03, स्वर्णरेखा अधिनियम मानगो कैम्प- आदित्यपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकेगा। संग्रहर्ता उक्त सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिये अबभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन हेतु विन्ध भू-अर्जन पदाधिकारी और उसके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला सगाहर्ता के पुर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अन्तरण यथा क्रय विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवायेगा या ऐसी भूमि पर कोई अबभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम का धारा 15 के अधीन यथाउपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति के द्वारा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-03, स्वर्णरेखा परियोजना मानगो कैम्प-आदित्यपुर के सग्ना दर्ज की जा सकेगी।